



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266721
CG-DL-E-07102025-266721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 48]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

आ. अ. 48(अ).— यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/केटी -एलए/2023 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के अनुसरण में 106- दावन्गोरे उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, कर्नाटक के 106- दावन्गोरे उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2023 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 13 मई, 2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 12 जून, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक से उनके दिनांक 13.08.2024 के पत्र सं. DPAR/08/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, दावन्गोरे की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के अनुसार, श्री कीर्ती कुमार. के.एस, जो कर्नाटक के 106- दावन्गोरे उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दावन्गरे की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री कीर्थी कुमार. के.एस को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/केटी-एलए/34/2023/सीईएमएस-II, दिनांक 20 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री कीर्थी कुमार. के.एस को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, दावन्गरे जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दावन्गरे ने अपनी रिपोर्ट सं. ELNCR/57/2024-25 दिनांक 28.03.2025 में सूचित किया है कि उम्मीदवार का दिए गए पते पर निवास नहीं था और उसका पता भी ज्ञात नहीं था, इसलिए उक्त कारण बताओ नोटिस श्री कीर्थी कुमार. के.एस के घर की दीवार पर दिनांक 27.11.2024 को चिपकाया गया था और महाजर रिपोर्ट तैयार की गई; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दावन्गरे ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. ELNCR/57/2024-25 दिनांक 03.07.2025 जोकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के पत्र सं. DPAR/08/Chuvebha(Addl. CEO-1)2023; दिनांक 10.07.2025; द्वारा प्राप्त हुई है, उसमें सूचित किया है कि श्री कीर्थी कुमार. के.एस ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री कीर्थी कुमार. के.एस ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कीर्थी कुमार. के.एस अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि कर्नाटक के 106- दावन्गरे उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री कीर्थी कुमार. के.एस, निवासी- # 1325, 2nd स्टेज, एस.पी. एस नगर, दावन्गरे - 577006, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/केटी-एलए/34/2023/सीईएमएस-II]

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2025

O.N. 48 (E).— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly, 2023 for **106-Davangere North** Assembly Constituency of Karnataka was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/KT-LA/2023, dated 13th April, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **106- Davangere North** Assembly Constituency of Karnataka, 2023 was declared by the Returning Officer on 13th May, 2023 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 12th June, 2023; and

WHEREAS, as per the report dated 05.08.2024 of **District Election Officer, Davangere** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, Karnataka vide his letter no. DPAR/08/Chuvebha(Addl CEO-1)2023; dated 13.08.2024 stating that **Sh. Keerthi Kumar. K.S.**, a contesting candidate from **106- Davangere North** Assembly Constituency in General Election to Legislative Assembly of Karnataka, 2023 has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on basis of the said report of the **District Election Officer, Davangere** a 'Show Cause Notice' No. 76/KT-LA/34/2023/CEMS-II, dated 20th September, 2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Keerthi Kumar. K.S.**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Keerthi Kumar. K.S** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the **District Election Officer, Davangere** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Davangere** in his report no. ELNCR/57/2024-25; dated 28.03.2025 has reported that the candidate **Sh. Keerthi Kumar. K.S.** was not residing in the given address and his whereabouts was not known, hence the said 'Show Cause Notice' was pasted on the wall of the house and a mahazar was prepared **27.11.2024**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Davangere** in his Supplementary Report no. ELNCR/57/2024-25; dated 03.07.2025 on account of the candidate, received through Chief Electoral Officer, Karnataka letter No. DPAR/08/Chuvebha (Addl.CEO-1) 2023; dated 10.07.2025 has reported that **Sh. Keerthi Kumar. K.S** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Keerthi Kumar. K.S** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Keerthi Kumar. K.S** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Keerthi Kumar. K.S**, resident of # **1325, 2nd Stage, S.P.S Nagara, Davanagere- 577006** and a contesting candidate from **106- Davangere North** Assembly Constituency of Karnataka in General Election to Legislative assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/KT-LA/34/2023/CEMS-II]

RAKESH KUMAR, Secy.